

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 47/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1-चुना पिता प्रताप जाति बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर

प्रार्थी

बनाम

- 1-बालू पिता प्रताप जाति बलाई निवासी झडोल (खेडिया) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 2-शम्भु पिता प्रताप जाति बलाई निवासी झडोल (खेडिया) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 3-बन्शी पिता गोकल जाति बलाई निवासी झडोल (खेडिया) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 4-कमलादेवी पत्नी उदयराम जाति बलाई निवासी झडोल (खेडिया) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 5-मोहन पिता बरदा जाति बलाई निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 6-मोहन पिता मांगू जाति बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 7-बालू पिता कजोड जाति बलाई निवासी झडोल (खेडिया) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित-

फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 02.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/कैम्प कोर्ट झडोल मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम झडोल पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 170 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 177 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 178 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 184 रकबा 0.75 है0, आराजी संख्या 235 रकबा 0.13 है0 जो खाता संख्या 193 पर दर्ज रिकार्ड है कुल किता 5 कुल रकबा 1.50 है0 अन्य आराजी के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 मय नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने की वजह से पक्षकारान के दरम्यान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा होते रहते है। तथा प्रार्थी को घास आदि काटने में, फसल कास्त करने,, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा का विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थी द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जबाव देते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 25.04.2018 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पडा है। विपक्षीगण प्रार्थी की आराजियात के पडौसी होने से उन्हें पक्षकार बनाये गये हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 18.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 5 तथा 7 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी



2. नव 197 प्राया का उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुस्तकिल निशानात नही होने की वजह से पक्षकारान के दरम्यान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा होते रहते है। तथा प्रार्थी को घास आदि काटने में, फसल कास्त करने,, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा का विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थी द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जबाव देते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 25.04.2018 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पडा है। विपक्षीगण प्रार्थी की आराजियात के पडौसी होने से उन्हें पक्षकार बनाये गये हैं।

संख्या 2 एवं 6 के विरुद्ध प्रार्थी के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम झडोल पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 170 रकबा 0.24 है०, आराजी संख्या 177 रकबा 0.38 है०, आराजी संख्या 178 रकबा 0.01 है०, आराजी संख्या 184 रकबा 0.75 है०, आराजी संख्या 235 रकबा 0.13 है० जो खाता संख्या 193 पर दर्ज रिकार्ड है कुल कितना 5 कुल रकबा 1.50 है० अन्य आराजी के साथ स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रूपये 200/- अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 800/- अक्षरे आठ सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।


राजलक्ष्मी गहलोत

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 02.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


राजलक्ष्मी गहलोत

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा